संख्याः 4 / 2025/ 132/ सत्रह-म-2025-17-1099/63/2022

प्रेषक,

के0 रविन्द्र नायक,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

महानिदेशक,
मत्स्य विभाग,
उत्तर प्रदेश।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊः दिंनाक 29 जनवरी, 2025

विषयः शासनादेश संख्या-28/2023/756/सत्रह-म-17-1099/63/2022 दिनांक 25.09.2023 द्वारा प्रख्यापित जलाशय नीति 2023 में समितियों/ स्वयं सहायता समूह/ कम्पनीज के लिए श्रेणी-4 व 5 के संदर्भ में हैसियत प्रमाण पत्र की अनिवार्यता सम्बंधी प्राविधान में संशोधित मार्ग- निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-246/सा0शा0/ज-(16)/।।।/ अधिनियम/ नियम/ 2024-25 दिनांक 29.10.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से दिनांक 25.09.2023 द्वारा प्रख्यापित जलाशय नीति 2023 में समितियों/ स्वयं सहायता समूह/ कम्पनीज के लिए श्रेणी-4 व 5 के संदर्भ में हैसियत प्रमाण पत्र की अनिवार्यता सम्बंधी प्राविधान में संशोधन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त दिनांक 25.09.2023 द्वारा प्रख्यापित जलाशय नीति 2023 में समितियों/ स्वयं सहायता समूह/ कम्पनीज के लिए श्रेणी-4 व 5 के संदर्भ में हैसियत प्रमाण पत्र की अनिवार्यता सम्बंधी प्राविधान में युक्तियुक्त संशोधन करते हुए जलाशय नीति 2023 के क्रियान्वयन हेतु निम्नवत व्यवस्था निर्धारित किये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

क्र0सं0	प्रभावी शासनादेश संख्या	संदर्भित प्रस्तर संख्या	वर्तमान शासनादेश के अनुसार निर्धारित व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था
1	2	3	4	5
1	शासनादेश संख्या-28/ 2023/	प्रस्तर-2(1)(3)	(क) श्रेणी- एक, दो, व तीन के जलाशयों की ई-	(क) श्रेणी एक, दो व तीन के जलाशयों की ई-

	756/सत्रह-म-17-1099/63/2022 दिनांक 25 सितम्बर, 2023		निविदा/ निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करने हेतु इच्छुक ठेकेदारों/ समिति को न्यूनतम आरक्षित मूल्य के 50 प्रतिशत के बराबर सक्षम स्तर से निर्गत हैसियत प्रमाण पत्र अथवा इतनी ही धनराशि की सावधि जमा रसीद (एफ0डी0आर0) अथवा सहकारी समिति की दशा में उनके विगत तीन वर्ष के संतुलन पत्र (बैलेंस शीट) जिसमें वांछित हैसियत के समतुल्य टर्न ओवर का अंकन हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा। (ख) श्रेणी-4 व 5 के संदर्भ में जिन समितियों/स्वयं सहायता समूह/कम्पनीज की बैलेन्स शीट धनात्मक है एवं समिति निर्धारित न्यूनतम मूल्य का 50 प्रतिशत एफ0डी0आर0 नीलामी हेतु आवश्यक जमा किये जाने वाले अभिलेखों के साथ जमा करें, तो नीलामी में प्रतिभाग	निविदा /निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करने हेतु इच्छुक ठेकेदारों /समिति को न्यूनतम आरक्षित मूल्य के 50 प्रतिशत के बराबर सक्षम स्तर से निर्गत हैसियत प्रमाण पत्र अथवा इतनी ही धनराशि की सावधि जमा रसीद (एफ0 डी0आर0) अथवा उपरोक्त दोनो के न होने पर सहकारी समिति की दशा में उनके विगत तीन वर्ष के संतुलन पत्र (बैलेंस शीट) जिसमें वांछित हैसियत के समतुल्य टर्न ओवर का अंकन हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा। (ख) श्रेणी-4 व 5 के संदर्भ में ठेकेदारों/समितियों को हैसियत प्रमाण पत्र अथवा इतनी ही धनराशि की सावधि जमा रसीद तथा जिन समितियों/स्वयं सहायता समूह/कम्पनीज की बैलेन्स शीट धनात्मक है एवं समिति निर्धारित न्यूनतम मूल्य का 50

			करने हेतु हैसियत प्रमाण पत्र की अनिवार्यता नहीं होगी।	प्रतिशत एफ0डी0आर0 नीलामी हेतु आवश्यक जमा किये जाने वाले अभिलेखों के साथ जमा करें, तो नीलामी में प्रतिभाग करने हेतु हैसियत प्रमाण पत्र की अनिवार्यता नहीं होगी इन जलाशयों के निस्तारण में वरियता क्रम यथावत रहेगा।

कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

Signed by
"RAVINDER NAIK KHATRAVATH"
Date: 28-01-2025 16:59:37

(के0 रविन्द्र नायक)
प्रमुख सचिव।

संख्या-4 /2025//32/ सत्रह-म-2025 तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4. निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तर प्रदेश।
5. प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0 लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0 लखनऊ।
7. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग उ0प्र0 ।
8. निदेशक, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश।
9. निदेशक, सूचना विभाग, उ0प्र0।
10. समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/ जिला विकास अधिकारी उ0प्र0।
12. वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
13. समस्त उप निदेशक मत्स्य / सहायक निदेशक मत्स्य/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य पालक विकास अभिकरण उ0प्र0।
14. गार्ड फाइल।